

## कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री अनूप कुमार शर्मा, एडवोकेट चेम्बर नं0 6 जिला एवं सत्र न्यायालय दौसा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा।

अपील सं0 59/2020

निर्णय


दिनांक :13.01.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिला दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वॉछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वॉछित सूचना/नकल प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिला दौसा द्वारा चाही गई सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी दौसा से होने के कारण आवेदन पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)के अंतर्गत स्थानान्तरित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी दौसा को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा उनके पत्रांक: 77 दिनांक 12.01.2021 द्वारा अवगत करवाया की अपीलार्थी को चाही गई सूचना प्रेषित की जा चुकी है। उक्त पत्र की प्रति सूचनार्थ लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी दौसा के पत्रांक 78 दिनांक 12.01.2021 के द्वारा आवेदक को प्रेषित की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांत को सूचना दे दी गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांत चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांत खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय की प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

  
(शीयुष सॅरारिया)  
जिला कलेक्टर, दौसा